

क्रमांक: पा. १। १/कार्मिक/अस्पताल/01/ 31/51

दिनांक: 15/3/02.

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अंतर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए गोपीनाथ हास्पिटल, सेक्टर-8, चेतक मार्ग, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर को मंडल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त हास्पिटल को भुगतान हेतु कुल देय राशि में 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने की शर्त पर अधिकृत किया जाता है ।

उक्त आदेशों को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है ।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/निजी सचिव-आवासनआयुक्त/सु. अभि., रा. आ. मं.
2. गोपीनाथ हास्पिटल "पी" लि०, सेक्टर-8, चेतक मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर
3. अति. मुख्य अभियंता, रा. आ. मं.
4. वरि. निजी सहायक-सचिव/वि. त. एवं सु. ले. अ., रा. आ. मं., जयपुर
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्ति-
6. आवासीय अभियंता, खण्ड-
7. लेखाधिकारी, वित्त/भुगतान, रा. आ. मं., जयपुर
8. तमस्त प्रकोष्ठ/सु. १/नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली


सचिव